

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन**  
**जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी अभिवेक गोयल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/63/2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 11.06.2019

**उनवान**

1. भैरू पिता दल्ला जाति लोहार निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. माधु पिता दल्ला जाति लोहार निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. टोलु पिता दल्ला जाति लोहार निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. जानी पिता दल्ला जाति लोहार निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मांगी पिता दल्ला जाति लोहार निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. अरविन्दसिंह पिता भोपालसिंह जाति चारण निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. उमा गाडन पत्नि हर्षवर्धनसिंह जाति चारण निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मदनसिंह पिता चतरसिंह जाति चारण निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. हंसाबाई पत्नी भगवान सिंह जाति चारण निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सुखा पिता रूपा जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. महेन्द्रसिंह पिता पाबुदान जाति गाडरी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. टोलु पिता हेमा जाति सालवी निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट**

निर्णय दिनांक 20.06.2019


**—:निर्णय:—**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा भीमखण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन की खाता संख्या 116 में स्थित आराजी संख्या 455, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 877 तथा खाता संख्या 46 में स्थित आराजी संख्या 747 कुल किता 12 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भीमखण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन की खाता संख्या 116 में स्थित आराजी संख्या 455, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

755, 756, 877 तथा खाता संख्या 46 में स्थित आराजी संख्या 747 कुल किता 12 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



  
(अभिषेक गोयल)  
सहायक कलक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी कपासन